



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMAJYOTIBAPHULEROHILKHANDUNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक: रु०वि०/शैक्षणिक/2021/

दिनांक: 05.06.2021

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

एम०जे०पी०रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय— राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संबंध में अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्रांक मेमो/रा०उ०शि०प०/15/2020 दिनांक 05 जून, 2021 के साथ संलग्न अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 142/सत्तर—3—2021—08(35)/2020 टी.सी.1 दिनांक 15 जनवरी, 2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु महाविद्यालयों में संलग्न सूची के अनुसार प्रकोष्ठों की स्थापना कर नीति में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत उनका संचालन सुनिश्चित कर तथा सभी प्रकोष्ठों की संरचना एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों को महाविद्यालय की वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उक्त के संबंध में आपसे अनुरोध है कि शासनादेश में दिये गये दिशा—निर्देश के अनुसार कार्यवाही कर संबंधी सूचना दिनांक 07 जून, 2021 को अपरान्ह 04.00 बजे तक उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ई—मेल upshec@gmail.com पर प्रेषित करने का कष्ट करें।
 संलग्न—यथोपरि।

भवदीय


 कुलसचिव

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली—मुरादाबाद परिक्षेत्र।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
4. डा० अमित सिंह, मीडिया प्रभारी
5. सहायक कुलसचिव
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।


 कुलसचिव

E-mail: upshec@gmail.com,
Website : www.uphed.gov.in/council



Phone : 0522-2287025
0522-4306795

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्

619, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001

शीर्ष प्राथमिका/समयबद्ध

पत्रांक : मेरो/रा०उ०शि०प०/ 15/ 2020

दिनांक : 05 जून, 2021

सेवा में,

- | | |
|--|---|
| 1. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ०प्र०। | 2. कुलसचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उ०प्र०। |
|--|---|

विषय : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-142/सत्तर-3-2021-08(35)/2020टी.सी.1 दिनांक 15 जनवरी, 2021 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संलग्न सूची के अनुसार प्रकोष्ठों की स्थापना कर नीति में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत उनका संचालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे तथा सभी प्रकोष्ठों की संरचना एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईट पर नियमित रूप से प्रदर्शित करते हुए अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत कराने की अपेक्षा की गयी थी।

2- उक्त के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु संलग्न सूची के अनुसार प्रकोष्ठों की स्थापना, संरचना एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने संबंधी सूचना दिनांक 07 जून, 2021 को अपराह्न 4:00 बजे तक उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ई०मेल आई०डी० upshec@gmail.com पर MS Word File एवं PDF File (Kruti Dev 016 Font में) उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उपरोक्त से संबंधित सूचना समयबद्ध तिथि के अन्तर्गत शासन को उपलब्ध करायी जा सके।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय

०५.६.२१

डॉ० (आर०क० चतुर्वेदी)
अपर सचिव

पत्रांक : /रा०उ०शि०प०/ / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन/सदस्य सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवगतार्थ।

डॉ०(आर०क० चतुर्वेदी)
अपर सचिव

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध |
संख्या-142 / सत्तर-3-2021-08(35) / 2020टी.सी.1

प्रेषक,
 मोनिका एस. गर्ग
 अपर मुख्य सचिव
 उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1— निदेशक,
 उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
 प्रयागराज।

2— कुलपति,
 समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
 उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लेखनक्रम: दिनांक: 15 जनवरी, 2021

विषय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संलग्न सूची के अनुसार प्रकोष्ठों की स्थापना कर नीति में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत उनका संचालन सुनिश्चित किया जाये। अनुरोध है कि सभी प्रकोष्ठों की स्थापना, संरचना एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रदर्शित करें तथा अद्यतन स्थिति से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीया,

15/

(मोनिका एस. गर्ग)
 अपर मुख्य सचिव।

संख्या-142 (1) / सत्तर-3-2021-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- (2) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
 उप सचिव।

क्रमांक	प्रकोष्ठ का नाम	कार्य
1	उद्योग-अकादमिक एकीकरण एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ (Industry-Academia Integration and Skill Development Cell)	<ul style="list-style-type: none"> माध्यमिक, पोलीटैक्निक, आई.टी.आई के साथ उच्च शिक्षा का समन्वय स्थापित करना व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा के क्षेत्रों की पहचान करना व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा के प्रायोगिक भाग/इंटर्नशिप के लिये MoU करना कौशल विकास के लिये स्थानीय उद्योगों के साथ मिलकर पाठ्यक्रम तैयार करना स्थानीय व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा के क्षेत्रों से छात्रों को अवगत कराना छात्रों को आनलाईन व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा कोर्स करने के लिये मदद करना क्षेत्रीय उद्योगों/संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर MoU करना क्षेत्रीय उद्योगों/संस्थाओं की पहचान कर अध्ययनरत विद्यार्थियों को इंटर्नशिप हेतु उनमें भेजना संस्था के समझौता-ज्ञापन (MoU) का ड्राफ्ट तैयार करना संस्था के हित में विभिन्न प्रकार के समझौता-ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करना समझौता-ज्ञापन (MoU) की क्रियाशीलता सुनिश्चित करना
2	ऑनलाइन शिक्षा एवं LMS प्रकोष्ठ (Online Education and LMS Cell)	<ul style="list-style-type: none"> संस्था में ८०प्र० ऑनलाइन शिक्षा नीति के अनुरूप विभिन्न कार्य करना विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से छात्रों को अवगत कराना तथा उसके लिये उन्हें प्रेरित करना संस्था का LMS तैयार कर उसका संचालन सुनिश्चित करना संस्था के समस्त कार्यालयी कार्यों को डिजिटल माध्यम से कराना पुस्तकालय में प्री-लोडेड टैब्स उपलब्ध करवाना संस्थान में ई-लर्निंग पार्क की स्थापना करवाना अपने क्षेत्रान्तर्गत अथवा संस्था के अंदर पी.पी.पी के आधार पर ई-सुविधा केन्द्र की स्थापना करना जिससे छात्रों को न्यूनतम दर पर 24x7 कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो सके ई-सुविधा केन्द्र के विभिन्न कार्यों की दर सुनिश्चित करना (कैन्टीन की तरह) जिससे छात्रों को शोषण से बचाया जा सके ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के क्रेडिट ट्रांसफर में छात्रों की मदद करना
3	शिक्षक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ (Teachers' Re-skilling Cell)	<ul style="list-style-type: none"> शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का वार्षिक कैलेण्डर तैयार कराना शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं

		अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से अवगत कराना
4	अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (Research Development cell)	<ul style="list-style-type: none"> भविष्य में प्रयोग होने वाली शिक्षण तकनीकी से शिक्षकों को अवगत कराना उच्च गुणवत्ता के शोध हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना शिक्षकों/विद्यार्थियों को शोध योजना बनाने में मदद करना विभिन्न प्रकार की शोध अनुदान योजनाओं से शिक्षकों/विद्यार्थियों को अवगत कराना शोध हेतु उद्योगों/अन्य शिक्षण संस्थानों के साथ अनुबन्ध करना राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय शोध करना शोध हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना
5	संस्थागत विकास योजना प्रकोष्ठ Institutional Development Plan (IDP) Cell	<ul style="list-style-type: none"> संस्था के लघु एवं दीर्घ उद्देश्यों (Annual, Five year plan upto 15 years) पर आधारित " संस्थागत विकास योजना" तैयार करना संस्था की IIC स्थापित करना भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप संस्था का IIC पर पंजीकरण सुनिश्चित करना तथा उसके अनुरूप कार्य करना संस्था का ARIIA में प्रतिभाग सुनिश्चित करना संस्थान, शिक्षक एवं छात्र मूल्यांकन के लिये नीति तैयार करना तथा उसके अनुरूप सतत मूल्यांकन करना संस्था का NIRF में प्रतिभाग कराना
6	एक्टिविटी क्लब (Activity-Club)	<ul style="list-style-type: none"> संस्था में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों आयोजित करना तथा संस्था के छात्रों को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो रही गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिये प्रेरित करना। संस्था के छात्रों को सामुदायिक सेवा के लिये प्रेरित करना सामुदायिक सेवा हेतु वार्षिक कैलेण्डर तैयार करना संस्थान द्वारा किसी गांव को गोद लेकर उसके विकास में मदद करना पर्यावरण जागरूकता एवं संरक्षण अभियान चला कर विद्यार्थियों/स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना संस्था की वार्षिक ग्रीन आडिट रिपोर्ट तैयार कर उसे वेबसाइट पर प्रदर्शित करना संस्था के अंदर पर्यावरण संरक्षण (रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अक्षय उर्जा, वर्मीकम्पोस्ट, जल संरक्षण, पेपर री-साईकिलिंग आदि) के उपाय करना संस्था के विद्यार्थियों के लिये भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करना विद्यार्थी भ्रमण के लिये विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी योजनाओं से छात्रों को अवगत कराना तथा उसका लाभ लेना

7	भारतीय भाषा, संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ (Indian Language, Culture and Arts Cell)	<ul style="list-style-type: none"> क्षेत्रीय संस्कृति एवं कला की पहचान कर उन पर कार्यक्रम आयोजित करना क्षेत्रीय संस्कृति एवं कला को पाठ्यक्रम से जोड़ना क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति एवं कला महोत्सवों में छात्रों को प्रतिभाग कराना क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति एवं कला महोत्सव आयोजित करना भारतीय भाषा विकास क्लब की स्थापना करना तथा इससे विभिन्न भारतीय भाषा जानने वाले शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को जोड़ना छात्रों को विभिन्न भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन /ऑफलाइन माध्यम से सीखने में मदद करना
8	अंतर्राष्ट्रीय छात्र सहायता प्रकोष्ठ (International students Cell)	<ul style="list-style-type: none"> अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों की सहायता करना सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दी जा रही सुविधाओं से अवगत कराना अध्ययन वीजा दिलाने में मदद करना वेबसाईट पर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिये FAQ अपलोड कराना
9	दिव्योग सहायता एवं वंचित समूह सहायता योजना प्रचार-प्रसार प्रकोष्ठ Cell for differently abled students and SEDGs	<ul style="list-style-type: none"> वंचित समूहों को संस्था की विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिये प्रेरित करना वंचित समूहों के लिये हेल्प-डेस्क की स्थापना करना वंचित समूहों के लिये चल रही योजनाओं से उन्हें अवगत कराना तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उनकी मदद करना दिव्योगों के लिये हेल्प-डेस्क की स्थापना करना संस्था में दिव्योग आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना दिव्योगों के लिये आवश्यक कार्य कराने हेतु संस्था प्रमुख को अवगत कराना दिव्योगों के लिये चल रही योजनाओं से उन्हें अवगत कराना तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उनकी मदद करना
10	मेन्टरिंग एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रकोष्ठ (Mentoring and Counselling cell)	<ul style="list-style-type: none"> संस्था के छात्रों के लिये मनोवैज्ञानिक परामर्श कार्यशालायें आयोजित करना मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझ रहे छात्रों को मनोवैज्ञानिक मदद देना तथा उनके परिवार को अवगत कराना प्रत्येक छात्र के लिये प्रवेश के समय एक शिक्षक को मेन्टर नियुक्त करना संस्था की मेन्टर-मेन्टी पॉलिसी तैयार करना छात्रों को व्यवसायिक सहायता देना छात्रों के व्यक्तित्व विकास में मदद करना छात्रों में जीवन कौशल एवं व्यक्तित्व विकास के लिये कार्यक्रम आयोजित करना